न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–**काना राम** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः–03/2024 अर्न्तगत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

स्टेट जरिये विनोद कुमार जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़।

––प्रार्थी

बनाम

रामप्रताप पुत्र श्री खिराज राम कस्यां मैसर्स रामप्रताप पुत्र श्री खिराज राम कस्वां बस स्टैण्ड रामगढ़ के पास निवासी रामगढ़, तहसील नोहर

––अप्रार्थी

उपस्थितः– 1. श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधिवक्ता।
2. श्री राम कुमार कस्वां अधिवक्ता अप्रार्थी।

–:निर्णयः– दिनांकः–15.05.2024

स्टेट जरिये विनोद कुमार जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 21.02.2024 को जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ मय कार्यालय स्टॉफ तहसील नोहर में गांव रामगढ़ स्थित मैसर्स रामप्रताप पुत्र श्री खिराज राम कस्वां पर पेट्रोल, डीजल एवं घरेलू गैस सिलेण्डर की अवैध रिफिलिंग एवं कालाबाजारी की सूचना पर उपस्थित हुए। मौके पर उपस्थित श्री रामप्रताप पुत्र श्री खिराज राम कस्वां जिन्होनें स्वय की दुकान का मालिक बताया की उपस्थिति में दुकान की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान दुकान परिसर में इण्डेन के 9 घरलू गैस सिलेण्डर भरे हुये, इण्डेन का 1 घरेलू गैस सिलेण्डर खाली तथा भारत गैस के 8 घरेलू गैस सिलेण्डर खाली 31 लीटर डीजल मय तीन प्लास्टिक कैनी, एक लीटर का एक माप आधा लीटर के दो माप तथा प्लास्टिक की एक कीप पायी गयी। पूछताछ पर दुकान मालिक श्री रामप्रताप पुत्र श्री विराज राम कस्वां ने बताया कि वह खुदरा में डीजल बिक्री तथा सिलेण्डर बिक्री का कार्य करता है तथा बेची गई सामग्री का मूल्य वसूल करता है। मौके पर श्री रामप्रताप पुत्र श्री खिराज राम कस्वा द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलू गैस के भण्डारण बिक्री का होना स्पष्ट होने पर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (रैग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड 4.7 का उल्लघन पाया गया तथा अनाधिकृत रूप से डीजल का भण्डारण एवं बिक्री किया जाना मोटर स्प्रिंट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निगरण) आदेश 2005 के खण्ड 4 तथा अन्य प्रचलित विधिक प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1956 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः मौके पर पाया गया समस्त सामान इण्डेन के 9 घरेलू गैस सिलेण्डर भरे हुये, इन्डेन का एक घरेलू गैस सिलेण्डर खाली तथा भारत गैस के 8 घरेलू गैस सिलेण्डर खाली, 31 लीटर डीजल मय तीन प्लास्टिक कैनी, एक लीटर का एक माप, आधा लीटर के दो माप तथा प्लास्टिक की एक कीप जब्त की जाकर श्री सुभाषचन्द्र हाल प्रोपराइटर श्री रामदेव इंडेन, ग्रामीण वितरक गैस एजेंसी [illegible] गया। अतः प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1956 की धारा 6ए के तहत प्र[illegible] व जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा निवेदन किया गया है कि उक्त ज[illegible] सिलेण्डर भरे हुये, इण्डेन का 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Kana Ram
Date: 2024.10.10 11:20:33 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

घरेलू गैस सिलेण्डर खाली तथा भारत गैस के 8 घरेलू गैस सिलेण्डर खाली, 31 लीटर डीजल मय तीन प्लास्टिक केंनी, एक लीटर का एक माप, आधा लीटर के दो माप तथा प्लास्टिक की एक कीप को राजसात करने के आदेश फरमायें।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया।

अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम पेश किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया कि अप्रार्थी किसी भी प्रकार की अवैध पैट्रोल, डीजल एवं घरेलू गैस सिलेण्डर की अवैध रिफिलिंग नहीं करता है। मौका पर रसद अधिकारी को मन अप्रार्थी की दुकान के पीछे नोहरा में 31 लीटर डीजल मिला जो अपने कृषि कार्य हेतु रखा हुआ था जिसके बिल आदि की प्रति उसी समय सौंप दी थी। अप्रार्थी की दुकान के आगे ग्रामीणों के सिलेण्डर जो भरवाने हेतु अक्सर रखे रहते है व एजेन्सी की ट्रोली या पिकअप जब आती है तो सिलेण्डर भर कर छोड़ जाती है पूरा दिन खराब ना हो इसलिए गांव के जानकार व्यक्ति काम पर जाते समय दुकान व रोड़ पर घरों के पास खाली सिलेण्डर भरवाने हेतु छोड़ कर जाते है जिनको जिला रसद अधिकारी ने गलत रूप से जब्त किया है इस बारे में मन अप्रार्थी द्वारा मौका पर ही बताया गया था परन्तु जिला रसद अधिकारी ने गलत रूप से जब्त किया गया है। चरण सं. 4 में अंकित तथ्य गलत एवं निराधार है। मन अप्रार्थी द्वारा कोई अवैध कारोबार नहीं किया गया है जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रार्थी के नोहरे से घरेलु उपयोग का 31 लीटर डीजल ही जब्त कर लिया जो कतई अपराध नहीं बनता है व ग्रामीणें के सिलेण्डर जब्त कर अखबार बाजी करवाने व आमजन में भय पैदा करने की नाजायज कौशिश की है जो कतई विधि विरूद्ध होने के कारण काबिल खारिजी के है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रारम्भ की गई उक्त कार्यवाही ड्रोप फरमायी जावे व प्रार्थी का डीजल प्रार्थी को व ग्रामीणों के सिलेण्डर ग्रामीणों को लोटाने का निवेदन किया है।

बहस सुनी गयी। राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया है कि जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा अप्रार्थी की दुकान के आगे से इण्डेन के 9 घरेलू गैस सिलेण्डर भरे हुये, इण्डेन का 1 घरेलू गैस सिलेण्डर खाली तथा भारत गैस के 8 घरेलू गैस सिलेण्डर खाली, 31 लीटर डीजल मय तीन प्लास्टिक केंनी, एक लीटर का एक माप, आधा लीटर के दो माप तथा प्लास्टिक की एक कीप के साथ पकड़ा गया है, जो कि घरेलू गैस सिलेण्डरों व डीजल का अवैध भण्डारण को दर्शाता है। मौके पर भरे हुए घरेलू सिलेण्डर का दुकान में पाया जाने से सिद्ध होता है कि उक्त दुकान पर घरेलू सिलेण्डरों व डीजल का अवैध धन्धा हो रहा था। अप्रार्थी द्वारा जब्ती के दौरान कोई वैध दस्तावेज प्रवर्तन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अप्रार्थी द्वारा घरेलू सिलेण्डरों व डीजल को दुकान पर रखना व डीजल को बैचना राजस्थान आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। इसलिए जब्तशुदा सिलेण्डरों व डीजल को राजसात किया जावे।

अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी किसी भी प्रकार की अवैध पैट्रोल, डीजल एवं घरेलू गैस सिलेण्डर की अवैध रिफिलिंग नहीं करता है। मौका पर रसद अधिकारी को मन अप्रार्थी की दुकान के पीछे नोहरा में 31 लीटर डीजल मिला जो अपने कृषि कार्य हेतु रखा हुआ था जिसके बिल आदि की प्रति उसी समय सौंप दी थी। अप्रार्थी की दुकान के आगे ग्रामीणों के सिलेण्डर जो भरवाने हेतु अक्सर रखे रहते है व एजेन्सी की ट्रोली या पिकअप जब आती है तो सिलेण्डर भर कर छोड़ जाती है पूरा दिन खराब ना हो इसलिए गांव के जानकार व्यक्ति काम पर जाते समय दुकान व रोड़ पर घरों के पास खाली सिलेण्डर भरवाने हेतु छोड़ कर जाते है। [illegible] उपभोक्ताओं के पहचान पत्र के साथ शपथ पत्र व सम्बन्धित उपभोक्ता की गैस कनेक्शन की कॉपी की चित्रप्रति प्रस्तुत की है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Kana Ram
Date: 2024.10.10 11:20:33 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

प्रार्थी का डीजल प्रार्थी को व ग्रामीणों के सिलेण्डर ग्रामीणों को लोटाकर अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रिकॉर्ड के अनुसार अप्रार्थी द्वारा उक्त सिलेण्डरों व डीजल की जब्ती के दौरान कोई वैध दस्तावेज प्रवर्तन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर जब्त किये गये थे। परन्तु फर्द जब्ती अनुसार अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर की अवैध रिफिलिंग करते हुए व डीजल का किसी व्यक्ति को बैचान करते हुए के कोई तथ्य पेश नहीं किये है। मात्र घरेलू गैस सिलेण्डर दुकान से जब्त किये गये। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस उपभोक्ताओं के इस आश्य के शपथ पत्र पेश किये है कि उक्त जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर उनके स्वयं के है जो उनके द्वारा सिलेण्डर भरवाने की सुविधा के तहत उक्त दुकान पर रखे हुए थे। जहां तक 31 लीटर डीजल का प्रश्न है अप्रार्थी को 31 लीटर डीजल रखने के लिये किसी लाईसेन्स/परमिट की आवश्यकता नहीं थी। उक्त पैट्रोलियम पदार्थ अप्रार्थी के द्वारा किसी को विक्रय किया जा रहा हो अथवा अन्य किसी प्रकार का कोई अपराध किया जा रहा हो ऐसा रिकॉर्ड से प्रकट नहीं होता है। परन्तु अप्रार्थी द्वारा भरे हुए घरेलू गैस सिलेण्डरों को बिना गौदाम की सुविधा के दुकान में रखना नुकसानदायक सिद्ध हो सकता था जो बिना परमिशन व स्टॉक के नियमों का पालन किये नहीं रखा जाना चाहिए। पत्रावली के संपूर्ण अवलोकन से अप्रार्थी का उक्त कृत्य 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का आंशिक उल्लघंन है।

अतः प्रार्थी स्टेट जरिये विनोद कुमार जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम आंशिक स्वीकार किया जाकर उक्त फर्द जब्ती अनुसार जब्तशुदा इण्डेन के 9 घरेलू गैस सिलेण्डर भरे हुये को राज्य के पक्ष में राजसात (Confiscate) किया जाता है तथा शेष इण्डेन का 1 घरेलू गैस सिलेण्डर खाली तथा भारत गैस के 8 घरेलू गैस सिलेण्डर खाली, 31 लीटर डीजल मय तीन प्लास्टिक केंनी, एक लीटर का एक माप, आधा लीटर के दो माप तथा प्लास्टिक की एक कीप को जब्ती से बागुजार (मुक्त) किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि निस्तारण से प्राप्त राशि को राज्य के राजकोष में जमा कर चालान नम्बर व दिनांक सहित पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सत्यमेव जयते हनुमानगढ़

(काना राम)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kana Ram
Date: 2024.10.10 11:20:33 IST
Reason: SelfAttested